भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

ATTENTION !!!

Bondholders of Sahara India Real Estate Corporation Ltd., (SIRECL) and Sahara Housing Investment Corporation Ltd. (SHICL)

***APPLY TO SEBI FOR REFUND ***

In terms of the Order dated August 31, 2012 and the subsequent Orders passed by the Hon'ble Supreme Court, particularly the Order dated May 8, 2013, SEBI has been refunding moneys to the Bondholders of SIRECL and SHICL who had lodged their complaints/claims with SEBI. This advertisement is being issued by SEBI, pursuant to the proceedings held before the Hon'ble Supreme Court of India on July 4, 2014, to invite refund claims from those who have not claimed earlier and are holding the following Bonds issued by the SIRECL and SHICL:

Bonds Issued by SIRECL	**Real Estate / Abode / Nirmaan Bonds**
Bonds Issued by SHICL	**Multiple / Income / Housing Bonds**

Bondholders may submit their claims by way of an Application in the format given alongside, with the following documents (please read the instructions given below carefully):

i. ORIGINAL bond certificates / passbooks
ii. Self attested copies of Proof of Identity and Proof of Address
iii. Self attested copy of first page of the bank passbook or cancelled cheque leaf (Refund amount will be credited to your bank account as per copy of passbook / cheque leaf).

Please note that claims relating to any schemes/ bonds other than the ones listed above shall not be entertained and will be returned to the Applicant at his/ her sole risk and responsibility.

Application for Refund along with all the requisite documents shall be submitted to:

Stock Holding Corporation of India Ltd.,
Unit: SEBI - Sahara Refund,
SHCIL House, Plot No.P-51, TTC Industrial Area,
MIDC, Mahape,
Navi Mumbai : 400 710

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR REFUND * : SEPTEMBER 30, 2014

*** Claims received after September 30, 2014 shall be returned to the Applicant at his/her sole risk and responsibility.**

Instructions to the bondholders:

1. Please make the application in the form printed here. You may also photocopy or re-type clearly to make an application. The format can also be downloaded from SEBI website (www.sebi.gov.in).

2. List of documents acceptable as proof of identity and proof of address:

   i. Proof of Identity: Unique Identification Number (Aadhaar) / Passport# / Voter ID card / Driving license# / PAN card / Government Photo ID Cards / Service Photo ID cards issued by PSUs / MGNREGA Job Card / Pensioner Photo Card / Any other document evidencing identity of the applicant(s) acceptable to SEBI.

   ii. Proof of Address: Unique Identification Number (Aadhaar) / Passport#/ Voters Identity Card / Ration Card / Registered Lease or Sale Agreement of Residence#/ Driving License#/ Flat Maintenance bill/ Insurance Copy#/ Utility bills like Telephone Bill (only land line), Electricity bill or Gas bill - Not more than 3 months old / Bank Account Statement or Passbook -- Not more than 3 months old / Government Photo ID Cards / Service Photo ID cards issued by PSUs / Property Tax Receipts / MGNREGA Job Card / Pensioner Card / Any other document evidencing address of the applicant(s) acceptable to SEBI (#Documents having an expiry date should be valid on the date of submission).

3. Income Tax will be deducted at source, wherever applicable, unless prescribed form (Form 15G / Form 15H under the Income Tax Act, 1961) to claim exemption from deduction of tax at source is received along with refund application in accordance with the provision of Income Tax Act, 1961. Incomplete Form 15G / Form 15H shall not be considered for exemption of TDS.

4. In case of change in marital status or if the minor bondholder has attained the age of majority, such Bondholders are requested to send necessary evidence in support of change of status along with the application for refund.

5. Bondholders are advised to quote the Name of the Company, Name of the Scheme, Control No. / Account No. in all their future correspondence.

6. In case of any query, please contact SEBI TOLL-FREE HELPLINE: 1800-22-7575 OR 1800-266-7575

vikramemitra.in

APPLICATION FOR REFUND

(Please use ball point pen only)

Affix a recently taken passport size photo here

Sub : My investments in Sahara India Real Estate Corporation Ltd (SIRECL) and/or Sahara Housing Investment Corporation Ltd (SHICL).

I hereby submit Application for Refund of my investment in the aforesaid Sahara Companies. The details are as under:

1. Name of the Bondholder :____________________

2. S/o / D/o / W/o / C/o. :____________________ 3. Occupation : ____________________

4.Telephone (with STD Code) / Mobile No.:____________________ 5. Email Id : ____________________

6. PAN Number, if available (please attach a copy of PAN) :

7. Address [@]

If located in Urban Area, in the following format		If located in Rural Area, in the following format	
House/Flat no., floor, premises name, block no.		Village name	
Street, Landmark, Sub locality		Post office name	
Locality, Road, sector,		Tehsil and District	
Town / City			
State		State	
Pin code		Pin code	

[@] **If the above Address is different from the Address mentioned in the Original Bond Certificate/ Passbook issued by Sahara, please furnish Address proof for both the Addresses.(Please refer to Instructions Sl.No.2)**

1. Details of investments (Please fill details in appropriate boxes below)

Description	Investments in Sahara India Real Estate Corporation Ltd.			Investments in Sahara Housing Investment Corporation Ltd.		
	Real Estate	**Nirmaan**	**Abode**	**Multiple**	**Income**	**Housing**
Account Number / Control Number						
No. of Bonds						
Amount invested						
Mode Of Investment (Cash / Cheque / DD)[$]						

[$] In case of Investment by Cheque/DD please indicate Cheque /DD No., Date, Drawee Bank and Branch, and in case of Cheque please attach relevant copies of Bank Statement/Passbook evidencing payment by cheque.

2. Bank Account Details

Name of the Bank and Branch		
Name of the Account holder		
Account No.		Type of Account: □ Savings / □ Current Account (Please tick)
IFSC Code		

UNDERTAKING

I/We ________________________________ declare that the information given in this application form is true to the best of my / our knowledge and belief. In consideration of the refund of the aforesaid amount to me/us by SEBI pursuant to the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated August 31, 2012, December 5, 2012 and May 8, 2013, I/We hereby undertake to return the said amount along with applicable interest to SEBI, If my/our aforesaid declaration is subsequently proven to be false. Further, I/We shall also be liable for any civil or criminal actions in accordance with the law.

Place :

Date : ....

Signature / Thumb Impression

vikramemitra.in

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

ध्यान दें !!!

सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) के बॉण्डधारक ध्यान दें !!

*** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करें ***

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 31 अगस्त, 2012 के आदेश और बाद में पारित आदेशों, विशेषकर तारीख 8 मई, 2013 के आदेश, के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) के उन बॉण्डधारकों को धन-वापसी (रिफंड) कर रहा है, जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास अपनी शिकायतें प्रस्तुत की थीं / दावे प्रस्तुत किये थे । यह विज्ञापन, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 जुलाई 2014 को हुई कार्यवाहियों के अनुसरण में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उन व्यक्तियों से 'धन-वापसी हेतु **दावे**' (रिफंड **क्लेम**) **आमंत्रित करने के लिए** जारी किया जा रहा है, जिन्होंने पहले दावे प्रस्तुत नहीं किये और जिनके पास एस.आई.आर.ई.सी.एल. तथा एस.एच.आई.सी.एल. द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित बॉण्ड हैं:

एस.आई.आर.ई.सी.एल. द्वारा जारी किये गये बॉण्ड	**रियल इस्टेट / एबोड / निर्माण बॉण्ड**
एस.एच.आई.सी.एल.द्वारा जारी किये गये बॉण्ड	**मल्टीपल / इनकम / हाउसिंग बॉण्ड**

बॉण्डधारक अपने दावे, यहाँ साथ में दिये गये फॉर्मेट में आवेदन करके निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं (कृपया नीचे दिये गये अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें):

i. मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र / पासबुक
ii. पहचान के सबूत और पते के सबूत की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ
iii. बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ की स्व-प्रमाणित प्रति या रद्द किया गया चेक (कैन्सल्ड चेक) [पासबुक की प्रति / दिये गये चेक के अनुसार, धन-वापसी (रिफंड) की रकम आपके बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी] ।

कृपया यह नोट करें कि ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है, उनसे भिन्न किन्हीं स्कीमों / बॉण्डों से संबंधित दावों पर विचार नहीं किया जायेगा, और जो आवेदक को लौटा दिये जायेंगे (और इस प्रकार लौटाये जाने में निहित जोखिम आवेदक का होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी) ।

धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:

स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
यूनिट: सेबी – सहारा रिफंड,
एस.एच.सी.आई.एल. हाउस, प्लॉट सं. पी-51, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया,
एम.आई.डी.सी., म्हापे,
नवी मुम्बई : 400 710

धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख* : 30 **सितम्बर**, 2014

*** 30 सितम्बर, 2014 के बाद प्राप्त दावे आवेदक को लौटा दिये जायेंगे (और इस प्रकार लौटाये जाने में निहित जोखिम आवेदक का होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी) ।**

बॉण्डधारकों के लिए अनुदेश:

1. कृपया यहाँ छपे हुए फॉर्म में ही आवेदन करें । आप आवेदन करने के लिए इसकी फोटोकॉपी भी करा सकते हैं या इसे फिर से स्पष्ट रूप से टंकित (टाइप) भी करा सकते हैं । इस फॉर्मेट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

2. पहचान के सबूत और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची:
   i. पहचान का सबूत: विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) (आधार) / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / सरकारी फोटो पहचान पत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र / मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) जॉब कार्ड / पेंशनभोगी (पेंशनर) का फोटो कार्ड / आवेदक (आवेदकों) की पहचान के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो ।

   ii. पते का सबूत: विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) (आधार) / पासपोर्ट @ / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / निवास स्थान का रजिस्ट्रीकृत पट्टा करार (लीज़ एग्रीमेंट) या विक्रय करार (सेल एग्रीमेंट) @ / ड्राइविंग लाइसेंस @ / फ्लैट का मेनटेनेंस बिल / बीमा की प्रति @ / बिल जैसे टेलीफोन का बिल (केवल लैंड लाइन का), बिजली का बिल या गैस का बिल - जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों / बैंक खाते के विवरण / की पासबुक - जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों / सरकारी फोटो पहचान पत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र / संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) की रसीदें / मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) जॉब कार्ड / पेंशनभोगी (पेंशनर) का कार्ड / आवेदक (आवेदकों) के पते के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो (@ जिन दस्तावेजों की "समाप्ति की तारीख" हो, ऐसे दस्तावेज, प्रस्तुत किये जाने की तारीख को विधिमान्य (वैध) होने चाहिए) ।

3. स्रोत पर आय-कर की कटौती कर ली जायेगी, जहाँ लागू होगा, जब तक कि स्रोत पर कर की कटौती से छूट के दावे हेतु निर्धारित फॉर्म (आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच), आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार 'धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन' के साथ प्राप्त न हो । यदि फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच अधूरा भरा हुआ होगा, तो स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4. यदि वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हुआ हो या यदि अवयस्क बॉण्ड-धारक वयस्क हो गया हो, तो ऐसे बॉण्ड-धारकों से निवेदन है कि वे इस प्रकार स्थिति में हुए परिवर्तन के समर्थन में आवश्यक सबूत 'धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन' के साथ भिजवायें ।

5. बॉण्डधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में पत्रादि लिखते समय सदैव कंपनी के नाम, स्कीम के नाम, कंट्रोल नं./ खाता सं. का उल्लेख करें ।

6. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन) सं.: 1800-22-7575 या 1800-266-7575 पर संपर्क करें ।

vikramemitra.in

धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन

(कृपया केवल बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें)

यहाँ हाल ही में खिंचवायी गयी पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकायें

विषय: सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) और / या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) में मेरे निवेश

मैं एतद्द्वारा सहारा की उपरोक्त कंपनियों में अपने निवेश की धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ / **करती हूँ** । इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं **:**

1. बॉण्ड-धारक का नाम : ____________________
2. सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी / द्वारा (C/o) :____________________ 3. व्यवसाय :____________________
4. दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) / मोबाइल नं. :____________________ 5. **ई-मेल** :____________________
6. **पैन नंबर, यदि उपलब्ध हो (कृपया पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)** :____________________
7. पता [@]

यदि शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो निम्नलिखित फार्मेट में:			यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, तो निम्नलिखित फार्मेट में:	
मकान / फ्लैट नं., मंजिल, परिसर का नाम, ब्लॉक नं.			गाँव का नाम	
गली, नजदीकी स्थान, मौहल्ला			डाकघर का नाम	
इलाका, रोड, सेक्टर			तहसील व जिला	
कस्बा / शहर				
राज्य			राज्य	
पिन कोड			पिन कोड	

[@] यदि उपरोक्त पता सहारा द्वारा जारी मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र / पासबुक में उल्लिखित पते से भिन्न हो, तो कृपया दोनों पतों के लिए पते के सबूत प्रस्तुत करें (अनुदेश सं. 2 देखें) ।

8. निवेश के ब्यौरे (ब्यौरे कृपया नीचे दिये गये खानों में ही भरें)

विवरण	सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. में निवेश				सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. में निवेश		
	रियल इस्टेट	निर्माण	एबोड		मल्टीपल	इनकम	हाउसिंग
खाता संख्या / **कंट्रोल नंबर**							
बॉण्डों की सं.							
निवेश की गयी राशि							
निवेश का माध्यम (नकद / चेक / डीडी) ■							

■ यदि निवेश चेक/डीडी के माध्यम से किया गया हो, तो कृपया चेक/डीडी सं., तारीख, अदाकर्ता बैंक और शाखा का उल्लेख करें, **और** चेक के **मामले में कृपया बैंक खाते के विवरण / बैंक की पासबुक की संबद्ध प्रतियाँ** (**चेक से किये गये भुगतान के सबूत हेतु**) **संलग्न करें ।**

9. बैंक खाते के ब्यौरे

बैंक का नाम **और शाखा**		
खाताधारक का नाम		
खाता संख्या		खाते का प्रकार: ☐ बचत खाता ☐ चालू खाता (जो लागू हो, उस पर कृपया सही का निशान लगायें)
आईएफएससी कोड		

वचन

मैं/हम ____________________ यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि इस आवेदन फॉर्म में दी गयी जानकारी मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 31 अगस्त 2012, 5 दिसम्बर 2012 तथा 8 मई 2013 के आदेशों के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मुझे/हमें उपरोक्त रकम वापस किये जाने के संबंध में, मैं एतद्द्वारा यह वचन देता हूँ/देती हूँ / हम एतद्द्वारा यह वचन देते हैं कि यदि मेरी / हमारी उपरोक्त घोषणा बाद में मिथ्या साबित हो जाती है, तो मैं / हम उक्त रकम लागू ब्याज के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को लौटाऊँगा / लौटाऊँगी / लौटाएँगे । इसके अलावा, मैं / हम कानून के अनुसार किन्हीं सिविल या दांडिक कार्रवाइयों का भी दायी रहूँगा/की भी दायी रहूँगी / के भी दायी रहेंगे ।

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

vikramemitra.in